I/192214/2024

संख्याः- 120 /XVII-2/2024-19(OBC)/2016

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 21 फरवरी, 2024

विषय– अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शासकीय/अशासकीय कॉलेजों में मेडिकल/इंजीनियरिंग के अन्तर्गत सभी तकनीकी/व्यावसायिक कोर्सों हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–404/स0क0/अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति/2023–24, दिनांक 19 मई, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन गाइडलाईन (वर्ष 2020–21 से 2025–26) को प्रदेश में लागू/अंगीकृत किये जाने की दृष्टि से अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु नवीन छात्रवृत्ति (डेस्कॉलर एवं हास्टॅलर) दर परिवर्तित किये जाने के उद्देश्य से तद्विषयक शासनादेश संख्या–1711/XVII-2/16-19(OBC)/2016, दिनांक 11 जनवरी, 2017 के **संलग्नक–I** को निम्न तालिकानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

पाठ्यक्रम का विवरण	पाठ्यक्रम की श्रेणी	भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन गाइडलाईन मार्च, 2021 से मार्च, 2026 के अनुसार निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर।		माता–पिता की वार्षिक आय।
		डेस्कॉलर	हास्टॅलर	
ग्रुप–ए (i) स्नातक एवं परास्नातक स्तर के कोर्स, जिनमे एम.फिल.,पी.एच.डी.तथा पोस्त डाकटरल रिसर्च इन मेडिसन(एलोपेथिक, भारतीय एवं अन्य मान्यता प्राप्त मेडिसन प्रणाली में) इजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, प्लालिंग आर्किटैक्चर,डिजाइन,फैशन टक्नोलॉजी, कृषि, वेटरिनरी एवं इसरो सम्बन्धित विज्ञान, मैनेजमेन्ट, विजनेस फाईनेन्स/एडमिनिस्ट्रैशन, कम्प्यूटर साईन्स/एप्लीकेशन (ii) कामर्शियल पाइलट लाइसेन्स(हेलीकाप्टर पाईलट एवं मल्टी इंजन रेटिंग सहित) कोर्स (iii) मैनेजमेन्ट एवं मेडिसन की विभिन्न शाखाओं में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स (iv)सी.ए./आई.सी.ए.डब्ल.यू.ए./सी.एस./आई. सी.एफ.ए. इत्यादि (v) एम.फिल. पी.एच.डी. एवं पोस्ट डाक्टेरल प्रोग्राम डि.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि। (अ) वर्तमान में ग्रुप–ii में सम्मिलित सभी कोर्स। (ब) वर्तमान में ग्रुप–iii में सम्मिलित सभी कोर्स।	**Group-A** Degree and Post Graduate level professional courses	रू० 7000/–	रू० 13500/–	**रू० 2.50 लाख**

Generated from eOffice by YOGESH DOBHAL, RO-Social Welfare Section 2-YD, REVIEW OFFICER, Social Welfare Department on 21/02/2024 01:18 PM

I/192214/2024

(vi) एम.एल.एम.				
ग्रुप–बी (i) स्नातक एवं परास्नातक स्तर के सभी कोर्स जो डिग्री समकक्ष हैं। डिप्लोमा फार्मेसी क्षेत्र में सार्टिफिकेट, (बी फार्मा), नर्सिग (बी नर्सिग), एल.एल.बी.एफ.एस. व अन्य पैरामेडिकल शाखाओं जैसे–रिहेबिलिटेशन,डाईग्नोस्टिक इत्यादि, मास कम्यूनिकेशन, होटल मैनेजमेन्ट, इन्टीरियर डेकोरेशन, न्यूट्रीसन एवं डाईटेटिक्स, कार्मशियल आट, फाइनेनशियल सर्विस (उदाहरणार्थ–बैंकिंग, बीमा टेक्सेशन इत्यादि) जिस हेतु न्यूनतम प्रवेश योग्यता सीनियर सेकेन्डरी (10+2) हैं। (ii) परास्नातक कोर्स जो ग्रुप–1 में सम्मिलित नही हैं। उदाहरणार्थ–एम.ए. / एम.एस.सी. / एम.काम. / एम.एड. / एम.फार्मा आदि	**Group-B** Other professional Courses leading to Degree, Diploma, Certificate	रू॰ 6500 / –	रू॰ 9500 / –	
ग्रुप–सी अन्य समस्त समानान्तर स्नातक डिग्री कोर्स जो ग्रुप–ए एवं ग्रुप–बी में सामिल नही है यथा बी.ए. / बी.एस.सी / बी.काम. इत्यादि	**Group-C** Graduate and Post Graduate courses not covered under Group I & Group II	रू॰ 3000 / –	रू॰ 6000 / –	
ग्रुप–डी समस्त दशमोत्तर स्तर के नाम डिग्री कोर्स जिसमें प्रवेश हेतु योग्यता हाईस्कूल(कक्षा 10) तथा–सीनियर सेकेन्डरी सर्टिफिकेट (कक्षा 11 व 12) सामान्य एवं व्यवसायिक शाखा, आई.टी.आई. कोर्स, पौलिटेक्निक में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स आदि।	**Group-D** All Post-matriculation (Post Class X level) non-degree courses	रू॰ 2500 / –	रू॰ 4000 / –	

4– उपर्युक्त शासनादेश संख्या–1711/XVII-2/16-19(OBC)/2016, दिनांक 11 जनवरी, 2017 की अन्य शेष शर्तें / प्रतिबंध यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

Signed by Brijesh Kumar Sant
Date: 21-02-2024 12:31:57
(बृजेश कुमार संत)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:– 120 **(1)/XVII-2/2024-19(OBC)/2016, तद्‌दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. महालेखाकार, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
4. स्टॉफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, समाज कल्याण / जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / नोडल अधिकारी, आई.टी. सैल, देहरादून।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा–निदेशक, समाज कल्याण।
10. गार्ड फाईल।

Signed by Mahaveer Singh
Date: 21-02-2024 12:52:41
(महावीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Generated from eOffice by YOGESH DOBHAL, RO-Social Welfare Section 2-YD, REVIEW OFFICER, Social Welfare Department on 21/02/2024 01:18 PM